

31.3.2016 डिक्रीदार सतानन्द पुत्र सुआलाल जाति
ब्राह्मण निवासी दौलतपुर गंगापुर सिटी व अन्य की ओर से
श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट ने यह इजराय हमारे समक्ष
पेश की। डिक्रीदार के वकील को सुना गया। इजराय दर्ज
की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र लिखा जावे कि
यदि किसी अन्य सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं हो
तो डिक्री अनुसार पालना की जावे। पत्रावली दि० 2.5.2016
को पेश हो।

२-५१६ वकील डिक्रीदार उप०/पालना हेतु
तहसीलदार गंगापुर को लिखा जाकर पत्रावली
दि० २५-६-१६ को कैम्प अहमदपुर पर पेश हो।

२५-६-२०१६ पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। तहसीलदार
गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार
नामा० सं० ३१९
२५-६-१६ से डिक्री की पालना हो चुकी है।
अब इस पत्रावली में अन्य कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। अतः पत्रावली फैसल २०१६ नम्बर
नम्बर से कम हो एवं काद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी